राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग,राजस्थान,जयपुर

आपकी बेटी योजना

राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा विभाग में आपकी बेटी योजना को प्रथम वरीयता की छात्राओं के लिए वर्ष 2006–07 से लागू की हैं।

1. यह योजना राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है। इस योजना में बालिका शिक्षा को दिये जा रहे विशेष महत्व को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के अधिनस्थ राजकीय संस्कृत विद्यालयों की बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने तथा साधनहीन बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु , स्कूल पोशाक , स्टेशनरी व अन्य व्यय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्धि करवाना इस योजना का मुख्य उद्धेश्य हैं। ताकि अधिक से अधिक बालिकाएँ विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकें ।
2. " **आपकी बेटी योजना** " में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं का चयन प्रथम वरीयता में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाऐं जिनके माता–पिता में से दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो ऐसी बालिकाओं का चयन कर सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना लागू की गई हैं।
3. उक्तानुसार छात्राओं की चयनित सूची को अन्तिम रूप देने के लिए विधालय ,प्रबन्ध समिति (एस.डी.एम.सी.) का अनुमोदन प्राप्त कर सम्बन्धित संस्था प्रधान उक्त सूची को सम्बन्धित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी को भिजवातें हैं। संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी अपनी स्पष्ट अभिशंषा के साथ सूची को सचिव ,बालिका शिक्षा फाउण्डेशन ,राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल परिसर झालानाडूंगरी जयपुर को प्रेषित करते हैं ।
4. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित आवेदनों के आधार पर सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर द्वारा नियमानुसार संभागीय संस्कृत शिक्षा कार्यालयों को राशि का वितरण किया जाता हैं। उक्त राशि को संभागीय संस्कृत शिक्षा कार्यालयों द्वारा संस्थाओं में भिजवायी जाती हैं।

योजना की विस्तृत रूप रेखा निम्नानुसार

8/C

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांकः प.1(18)शिक्षा–1/प्राशि/2004 जयपुर, दिनांकः 12/5/06

निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर ।

विषय–"आपकी बेटी योजना" संस्कृत शिक्षा विभाग में लागू करने बाबत।
संदर्भ–आपका पत्रांकःनिसंशि/शैक्ष–6/पं.1/2006/679–83 दि.17.04.06

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रानुसार "आपकी बेटी योजना" संस्कृत शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत योजनानुसार प्रथम वरीयता के अन्तर्गत आने वाली पात्र बालिकाओं के लिये सत्र 2006–07 से लागू की जाती है। आपकी बेटी योजना का मूल आदेश पत्र के साथ संलग्न है।

"आपकी बेटी योजना" के लिये सत्र 2006–07 हेतु बजट प्रावधान बालिका शिक्षा फाउण्डेशन से किया जायेगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

शासन उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)
12-5-07

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त, प्रारमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेज कर लेख है कि सत्र 2005–06 में आपकी बेटी योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता जो कि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से पात्र बालिकाओं (कक्षा 1–12 में अध्ययनरत) के लिये उपलब्ध कराई गई थी, के वितरण की सुनिश्चितता कर सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन को सूचित करावें, जिससे अग्रिम कार्यवाही के निर्धारण की सुनिश्चितता की जा सके।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा–प्रथम/प्राशि/(ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार।
6. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2006–07 के लिये आपकी बेटी योजना हेतु आर्थिक सहायता बालिका शिक्षा फाउण्डेशन से की जाये।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव
12-5-07

C:\Documents and Settings\comp\Desktop\RO\Hindi Letter.doc

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक: प.1(18)शिक्षा–1/प्रा.शि./2004 जयपुर, दिनांक: 22.02.05

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर।

विषय :– वर्ष 2004–05 में माननीया वित्त मंत्री महोदया के परिवर्तित बजट भाषण में की गयी घोषणाओं में बिन्दु संख्या 48 "आपकी बेटी योजना" के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीया वित्त मंत्री महोदया (मुख्यमंत्री महोदया) के परिवर्तित बजट भाषण 2004–05 के बिन्दु संख्या 48 में साधनहीन बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा " आपकी बेटी " नामक योजना संचालित करने की घोषणा का कियान्वयन राज्य सरकार की ओर से बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा निम्नानुसार किया जावेगा :–

<u>योजना का उद्देश्य :–</u>

राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है तथा बालिका शिक्षा को दिये जा रहे विशेष महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने के उद्देश्य से साधनहीन बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्कूल पोशाक, स्टेशनरी व अन्य व्यय के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना योजना का प्रमुख उद्देश्य है, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रायें विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित हो सकें।

<u>चयन का आधार :–</u>

" आपकी बेटी" योजना में बालिकाओं का चयन निम्नानुसार वरीयता क्रम से किया जावेगा :–

1. <u>प्रथम वरीयता :–</u> गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाऐं, जिनके माता पिता दोनो अथवा एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाओं को चयन में प्रथम वरीयता दी जायेगी।
2. <u>द्वितीय वरीयता :–</u> गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाऐं।
3. <u>तृतीय वरीयता :–</u> ऐसी बालिकाऐं जिनके माता पिता दोनो अथवा एक का निधन हो गया हो तथा जिनके माता/पिता/अभिभावक की मासिक आय 2000/–रूपये प्रतिमाह से कम हो।

(Jaiswal-141)

18

उक्तानुसार छात्राओं की चयनित सूची को अंतिम रूप देने के लिए विद्यालय विकास प्रबन्धन समिति (एस0डी0एम0सी0)का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित संस्था प्रधान द्वारा उक्त सूची जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक को भिजवाई जायेगी। जिसमें आशार्थी का पासपोर्ट साईज का फोटो भी लगाना होगा। तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक अपनी स्पष्ट अभिशंषा के साथ सूची बालिका शिक्षा फाउण्डेशन को प्रेषित करेगें।

<u>वित्तीय सहायता :-</u> चयनित बालिकाओं को निम्नानुसार वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित बालिकाओं को वितरण हेतु उपलब्ध करवायी जावेगी।

क0सं0	विवरण	कक्षा 1 से 8	कक्षा 9 से 12
1.	स्टेशनरी (पैन, कॉपी, पैन्सिल)	400.00	600.00
2.	विद्यालय पौशाक, स्वैटर, जूते एवं जुराब	500.00	600.00
3.	चिकित्सा सहायता व अन्य हेतु	200.00	300.00
	कुल योग :-	1100.00	1500.00

<u>वित्तीय प्रबन्ध :-</u> ऐसी छात्राऐं जो कि सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से अध्ययन करने में असमर्थ रहती है, उनके लिए यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। प्रारम्भ में इस योजना के कियान्वयन के लिए वित्तीय व्यवस्था बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा की जायेगी। योजना के प्रारम्भ हो जाने पर द्वितीय चरण में योजना को दानदाताओं के माध्यम से स्पॉन्सर करने हेतु प्रसारित किया जा सकेगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण एव प्रकिया पृथक से जारी की जायेगी।

<u>अभिलेख :-</u> योजनान्तर्गत लाभान्वित छात्राओं का सम्पूर्ण अभिलेख एक रजिस्टर में निम्न प्रारूप में संस्था प्रधान द्वारा संधारित किया जायेगा :-

क0स0	छात्रा का नाम	पिता का नाम	स्थानीय पता	कक्षा	वितरित राशि	हस्ताक्षर छात्रा	हस्ताक्षर संस्था प्रधान
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.

संस्था प्रधान उक्त रजिस्टर को जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित करवाकर रजिस्टर की फोटो प्रति फाउण्डेशन को भेजेगें।

उक्त "आपकी बेटी" योजना के कियान्वयन की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर एवं सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर का यह दायित्व होगा कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर योजना का कियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करेगें।

उप शासन सचिव,
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

(Jaiswal-142)

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, वित्त एवं आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
5. निजी सचिव, सचिव , स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
6. शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
7. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।
8. शासन सचिव, आयोजना विभाग।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर।
10. उप शासन सचिव, शिक्षा—प्रथम।
11. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव,
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

(Jaiswal-139)

सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर

2–2ए, पुस्तकभवन झालानाडूंगरी

क्रमांक प–24 / बा.शि.फा. / आपकी बेटी / 2005 | 1111-1197 दिनांक 16.11.06

संस्कृत शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा,
समस्त सम्भाग

विषय :– आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत प्रथम वरीयता की छात्राओं के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

महोदय,

उक्त विषय में लेख है कि वर्ष 2006–07 में आपकी बेटी योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे (BPL)जीवनयापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाऐं जिनके माता या पिता अथवा दोनों का निधन हो गया हो ऐसी बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 मे अध्ययनरत रहने पर 1100 / –रूपये तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने पर 1500 रूपये / – की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जानी है। जिसके लिए प्रत्येक बालिका से भरवाये जाने वाले आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्नानुसार भिजवाया जा रहा है। प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची निम्न प्रारूप में आवेदन पत्र सहित भिजवायी जानी है :–

क्र. सं.	छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	कक्षा	BPL कार्ड नं.	माता–पिता दोनों अथवा एक का निधन (स्पष्ट लिखें)
1	2	3	4	5	6	7

उक्तानुसार आवेदन पत्र, मय सूची, इस कार्यालय को दिनांक 31–12–06 तक आवश्यक रूप से वाहक के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त सूची कक्षा 1 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं की अलग–अलग भिजवायी जानी है। **अपूर्ण आवेदन पत्रों तथा निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व आपका होगा।**

संलग्न :– आवेदन–पत्र का प्रारूप

उप सचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर